फर्द अहकाम

(नियम–26)

आज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना–कुचामन)

र्थी / वादी | अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण
रालाल | बनाम | लिखमा व अन्य

स्म प्रकरण : प्रार्थना पत्र | मुकदमा नं. 216 / 2021

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
7.06.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। प्रकरण को अवलोकन किया जिससे ज्ञात हुआ कि प्रकरण हाजा पूर्व में तारीख पेशी 16.08.2021 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज तथा दिनांक 21.12.2021 को पुनः रिस्टोर किया गया है। प्रकरण हाजा दर्ज दिनांक से तलबी में लम्बित चला रहा है। तथा प्रकरण में अप्रार्थीगण की तलबी हेतु अनेक अवसर दिये गये, गत तारीख पेशी 08.04.2025 पर वकील प्रार्थी को हिदायत के साथ अन्तिम अवसर दिया गया, कि अप्रार्थीगण की तलबी रजिस्टर्ड एडी सम्मन की जाकर रसीदें व डिलीवर्ड रिपोर्ट पेश करे अन्यथा प्रकरण सीपीसी प्रावधानुसार खारिज किया जावेगा। परन्तु वकील प्रार्थी ने गत साबिका आदेश की पालना की है। अतः प्रकरण हाजा में वकील प्रार्थी द्वारा बार–बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर वादी का वाद सीपीसी आदेश 09 नियम 5 के तहत अदम तकमील में खारिज किया जाता है। (जीतू कुलहरी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना–कुचामन)	